FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आअदालत –सहायक कलक्टर मुकाम – तारानगर

शीशराम आदि बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा –वाद पत्र नं. 01........ सन् 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी
07.01.26	प्रार्थीगण द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर में कृषि भूमि खाता सं. 376 के ख. नं. 552 तादादी 0.3161 हैक्टेयर, खसरा संख्या 623 तादादी 8.9021 है0 रोही ग्राम चंगोई तहसील तारानगर भूमि का आपसी सहमति से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के तहत विभाजन मय नजरी नक्शा के तहसीलदार तारानगर के समक्ष पेश किया गया। भूमि वितिय संस्थान के रहन दर्ज होने के कारण विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा को प्रेषित किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर के पत्र क्रमांक भू.अ./26/39 दिनांक 06.01.2026 से प्राप्त प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के उक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम से सहखातेदारी दर्ज है तथा सभी सहखातेदार इकरारनामा खाता विभाजन करने हेतु सहमत है। उक्त भूमि बैंक के पक्ष में रहन दर्ज है। वितिय संस्थान के अनुपस्थित रहने पर उनके वितिय हित सुरक्षित रखते हुए तहसीलदार तारानगर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक भू.अ. /26/39 दिनांक 06.01.2026 के अवलोकन उपरान्त विवादित कृषिभूमि का विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खाता सं. 376 के ख.नं. 552 तादादी 0.3161 हैक्टेयर, खसरा संख्या 623 तादादी 8.9021 है0 रोही ग्राम चंगोई तहसील तारानगर का खाता विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि ख.नं. 623 मीन तादादी 3.0727 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल तादादी 3.0727 है0 जिसे नक्शा में बरंग नीला से दर्शाया गया है जो शीशराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी चंगोई के हक हिस्सा में, ख.नं. 623 मीन तादादी 2.7567 हैक्टेयर, ख.नं. 552 मीन तादादी 0.3161 हैक्ट. कुल किता 2 कुल तादादी 3.0728 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग सफेद से दर्शाया गया है जो इन्द्राज पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी चंगोई के हक हिस्सा, ख.नं. 623 मीन तादादी 3.0727 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल तादादी 3.0727 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग नारंगी से दर्शाया गया है जो मनफूल पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी चंगोई के हक हिस्सा में रहेगी। नजरी नक्शा में बरंग लाल से आवागमन हेतु रास्ता कायम रहेगा। जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी।	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आअदालत –सहायक कलक्टर मुकाम – तारानगर

शीशराम आदि बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा –वाद पत्र नं. 01 सन् 2026

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
	तहसीलदार तारानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसार खातेदारों का अलग से खाता विभाजन करते हुए दर्ज कर राजस्व रिकार्ड व नक्शें में अमल दरामद करें। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./26/39 दिनांक 06.01.2026 तथा नकल नक्शा व पटवारी रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार तारानगर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)	

डिक्री ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code,Appendix 'D')

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान शीशराम आदि बनाम राजस्थान सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या ...01... वर्ष **2026**

यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी शीशराम, इन्द्राज, मनफूल मिनजानिब मुदई एवं **राजपैरोकार** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता तथा अतः वाद वादीगण बरूये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि खाता सं. 376 के ख.नं. 552 तादादी 0.3161 हैक्टेयर, खसरा संख्या 623 तादादी 8.9021 है0 रोही ग्राम चंगोई तहसील तारानगर का खाता विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि ख.नं. 623 मीन तादादी 3.0727 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल तादादी 3.0727 है0 जिसे नक्शा में बरंग नीला से दर्शाया गया है जो शीशराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी चंगोई के हक हिस्सा में, ख.नं. 623 मीन तादादी 2.7567 हैक्टेयर, ख.नं. 552 मीन तादादी 0.3161 हैक्ट. कुल किता 2 कुल तादादी 3.0728 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग सफेद से दर्शाया गया है जो इन्द्राज पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी चंगोई के हक हिस्सा, ख.नं. 623 मीन तादादी 3.0727 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल तादादी 3.0727 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग नारंगी से दर्शाया गया है जो मनफूल पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी चंगोई के हक हिस्सा में रहेगी। नजरी नक्शा में बरंग लाल से आवागमन हेतु रास्ता कायम रहेगा। जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा एवं पटवारी रिपोर्ट निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। .... बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..07.. माह ..01.. ..... सन 2025 को जारी की गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

मुदई	रूपया		पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा				स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा				स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत				महनताना वकील		
महनताना वकील				खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान				फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर				बबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा				मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक						
मिजान				मिजान		

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)